कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।
(DAY-NULM CELL)
कचहरी रोड, राँची, पिन–834001
e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांकः–...2084........./DAY-NULM

दिनांक–09/12/2023

आम–सूचना

जयपाल सिंह मुण्डा स्टेडियम के बाहर Night Street Mobile Food Hub का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk का संचालन शाम 07 बजे से रात 10 बजे तक किया जाना है। वैसे Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk के संचालक जो उक्त Night Street Mobile Food Hub में अपना व्यवसाय करने के इच्छुक हो वे अपना आवेदन निगम कार्यालय में दिनांक–.....18/12/2023.....तक जमा करना सुनिश्चित करें।

नोटः–Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk का आवेदन प्रपत्र एवं SoP राँची नगर निगम के वेबसाईट ranchimunicipal.com से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही संबंधित जानकारी हेतु DAY-NULM Cell, राँची नगर निगम से संपर्क किया जा सकता है।

ह०/–
अपर प्रशासक,
राँची नगर निगम।

ज्ञापांकः– ...2084.........../राँची, दिनांक– ...09.../...12....../2023

प्रतिलिपिः–

01. श्री गुरुदयाल सिंह P.E.S Specialist (PMAY) को इस निदेश के साथ उक्त सूचना का तीन प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में DAVP Rate पर न्यूनतम स्थान में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
02. प्रशासक महोदय, राँची नगर निगम को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अपर प्रशासक,
राँची नगर निगम।

Form No :.............................

Ranchi Municipal Corporation

(रांची नगर निगम)

Application Form/ आवेदन फॉर्म

Night Street Mobile Food Hub Near Jaipal Singh Munda Stadium
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास नाइट स्ट्रीट मोबाइल फूड हब

(7 pm to 10 pm only)

- Name of Applicant / आवेदक का नाम:

  ....

Paste you photo here

- Name of Guardian / अभिवावक का नाम:

  ....

- Correspondence Address / वर्तमान पता:

  ....

- Permanent Address / स्थायी पता:

  ....

- Mobile No./ मोबाइल संख्या .... Email/ ईमेल ....
- Present Address of Business / वर्तमान में व्यवसाय का स्थान:

  ....

- Description of Mobile Unit/ मोबाइल यूनिट का विवरण

  Motorized Cart/ मोटर चालित गाड़ी ☐ Non-Motorized Cart/ गैर-मोटर चालित गाड़ी ☐

- Vehicle Registration No (Incase of Motorized Cart) ....
- Vehicle Insurance valid upto ....
- Food License No issued by FSSAI ....
- Mandatory Attachment to be Enclosed / अनिवार्य दस्तावेज : Identity Proof ☐ Vehicle Registration ☐

  PM SVANidhi Registration ☐ Food License ☐ Photograph of Cart ☐

I am the owner of the business and have provided accurate and truthful information in this Night Street Mobile Food Hub Application Form. The information regarding my mobile food hub, including its description, operating details, compliance measures, vehicle registration, insurance information, and marketing aspects, is true and complete. I am committed to implementing health and safety measures, obtaining necessary permits, and following waste disposal plans to ensure compliance and safety.

Date : ..../.........../2023 (Applicant Signature)

APPLICATION FORM

पत्रांक - 2025, दिनांक - 07/11/25

Night street mobile food hub हेतु आवश्यक दिशा–निर्देशः–

Healthy & hygienic Street food initiative का उद्देश्यः–

- सडक पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को ऊपर उठाना।
- स्ट्रीट फूड विक्रेताओं पर उचित नियामक निगरानी सुनिश्चित करें।
- स्ट्रीट फूड विक्रेताओं का प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन।
- बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए स्थानीय नगर पालिका निकायों को शामिल करना।
- समृद्ध पाक विरासत को संरक्षित करना और पर्यटन को बढावा देना।
- उपभोक्ताओं के बीच स्थानीय खान–पान के प्रति विश्वास पैदा करना।

Healthy & hygienic Street food initiative से संबंधित प्रस्तावः–

1. स्थानीय जयपाल सिंह स्टेडियम के बाहर Night street mobile food hub में Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk को चिन्हित स्थल पर ही लगाना है।
2. जयपाल सिंह स्टेडियम के पास प्रस्तावित स्थल पर Mobile Food Van/Mobile Cart/ Mobile Kiosk लगाने का समय 07:00 pm रात्रि से 10:00 pm रात्रि में किया जाना है।
3. Night street mobile food hub में Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk में सफाई / वेस्ट बीन / सैनिटाइजेशन, पानी की आवश्यक व्यवस्था निगम द्वारा किया जाना है।
4. Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk में कार्य करने वाले कर्मी Hyginene से सबंधित सारे मापदंड का पालन करेंगे। जैसः–
   (क) खाना बनाने वाले कर्मी साफ रहें।
   (ख) उनके कपडे साफ–सथूरे होने चाहिए।
   (ग) नाखून कटे रहने चाहिए।
   (घ) खाना बनाने वाले कर्मी एपरोन का उपयोग करेंगें।
   (ड) कोई बीमार कर्मी फुड वेंन में काम नहीं करेंगे।

Night street mobile food hub में संचालित **Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk** हेतु नियम एवं शर्तेः–

1. प्रत्येक Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk के संचालकों 02 डस्टबीन रखना अनिवार्य होगा।
2. Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk को Food Safety के प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा एवं Food Safety की ट्रेनिंग से अक्षादित होना होगा। इस प्रकिया के लिए आवेदकों को ट्रनिंग एवं Food Safety के प्रमाण पत्र हेतु जरूरी सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
3. निधारित मार्केट में सभी Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk के लिए स्थल चिन्हित रहेंगे।
4. रात्रि में निर्धारित समय सीमा से अधिक व्यापार करने वाले Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk पर अतिरिक्त शुल्क राशि भुगतान करना होगा।

5. स्वच्छता के मानको का अनुपालन नहीं करते हुए गंदगी फैलाने वाले Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk वैन संचालकों पर शास्ति राशि अधिरोपित की जाएगी।
6. Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk के द्वारा अवैध/प्रतिबंधित सामग्री क्रय विक्रय किए जाने पर अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी।
7. Night street mobile food hub में लगे Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk को निर्धारित समय के उपरांत उक्त स्थल से हटाना अनिवार्य होगा।
8. आवश्यकतानुसार निगम के आदेश पर Night street mobile food hub का संचालन बंद किया जाएगा।
9. Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk को Prevailing Traffic Rule का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
10. Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk संचालको को यत्र–तत्र बेंच, कुर्सी, टेबल लगे पाये जाने पर निगम द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।
11. Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk द्वारा Smoke, Air Pollution, Noise Pollution, heat, Glare, Bright Light, Hazardous or unacceptable waste. की उत्पत्ति नहीं किया जाना है।
12. Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk में कार्यरत कर्मचारी निकाय द्वारा अधिष्ठापित Community Toilet/Modular Toilet/Mobile Toilets का उपयोग करेंगे।
13. Mobile Food Van/Mobile Cart/Mobile Kiosk के संचालको द्वारा निकाले गए कचडा (Bio degradable Waste) निगम द्वारा अधिष्ठापित कम्पोस्ट मशीन में कचडा डालना होगा।
14. Night street mobile food hub में Single use plastic का इस्तेमाल करना वर्जित रहेगा।
15. राँची नगर निगम द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर Night street mobile food hub के संचालन हेतु बनाए गए नियम एवं शर्तों में बदलाव किया जाएगा।
16. Night street mobile food hub में राँची नगर निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को क्षतिग्रस्त एवं नुकसान पहुँचाने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अपर प्रशासक
राँची नगर निगम,राँची।